Seventeenth Loksabha

>

Title: Regarding regulating the running of Pre-Primary Schools in the Country-laid.

श्री मनोज कोटक (मुम्बई उत्तर-पूर्व): मैं सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ कि भारत में प्री-प्राईमरी स्कूल के शुरू करने एवं संचालित करने के लिए कोई विशेष संशोधित कानून बनाई जानी चाहीए । इन स्कूलो में 3 वर्ष से 6 वर्ष के छोटे-छोटे बच्चे पढ़ते है और इनके भविष्य की शिक्षा का आधार इन्ही स्कूलो में तैयार होता है । यदि हम छोटे बड़े शहरो में जाए तो इस तरह के प्री-प्राईमरी स्कूल बड़ी संख्या में दिखाई देते हैं । इन स्कूलों में बच्चों के मार्गदर्शन हेतू सरकार को उचित कानून बनाने की आवश्यकता है । सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि प्री-प्राईमरी स्कूल को भी सरकारी संगठनो से पंजीकरण कराने की आवश्यकता हो । इससे इन स्कूलो की जिम्मेवारी बढ़ेगी और शिक्षा के प्रति अधिक सजग रहेंगे । कई बार देखा गया है कि बड़े एजुकेशन ग्रुप जो इन स्कूलो के लिए फ्रेंचाईजी देते है उनमे फीस लेने की भी कोई सीमा निर्धारित नहीं की होती हैं । कई स्थानों में डे-बोर्डिंग की व्यवस्था है जिसमें बच्चों को नाश्ता और खाना दिया जाता है । कई बार सुनने में आता है कि बच्चे स्कूल का खाना खा कर बीमार पड़ गए है । मेरी माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन है कि प्री-प्राईमरी स्कूल को शुरू करने, संचालित करने, फीस और डे-बोर्डिग है तो उसके तहत सरकार एक विशेष कानून बनाएं जिसमे व्यवस्था हो कि जो प्री-प्राईमरी स्कूल चल रहे हैं वह सरकार के नियमो के तहत संचालित हो और बच्चों के भविष्य को एक नया आधार मिले । अच्छा होगा यदि नई शिक्षा नीति के तहत शमिल कर लिया जाए और पुरे देश में एक जैसा कानून हो ।